THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) to (c) Talented artists are being booked from all over Maharashtra.

(d) Does not arise.

Amguri Power Project in Assam

3825. SHRI BHADRESHWAR GOHAIN : Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the present position of the proposed Amguri Power Project in Assam;

and(b)what are the reasons for no physical progress at site inspite of being a long pending project, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) The scheme for installation of a gas-based combined cycle power plant at Amguri in Assam, with a capacity of 360 MW, was sanctioned by the Planning Commission in August, 1991 at an estimated cost of Rs. 408.25 crores for implementation in the State Sector. The construction work on the project has not commenced as financing arrangements for the project could not be firmed up. The State Government have since decided to execute this project in the private sector. A Memorandum of Understanding was signed on 10-6-1993 between the Assam State Electricity Board and M/s. N.E.I. Inc. (USA) for the purpose. The construction work could start after completion of all the formalities and placement of orders for plant and equipment.

गुजरात और महाराष्ट्र में गैस आधारित विद्युत् परियोजनाओं के लम्बित पड़े हुए प्रस्ताव

3826. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में गैस आधारित कौन-कौन सी विद्युत् परियोजनाएं 31 जनवरी, 1994 तक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित थीं;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी गैस या अतिरिक्त गैस की मांग की गई है ;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) 31-1-1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र की गैस आधारित विद्युत् परियोजनाओं के नाम, जोकि सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित हैं, का अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए) ।

(घ) लंबित स्कीमों पर सरकार के अनुमोदन के लिए तभी विचार किया जा सकता है, जब कि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा इनको तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो और वित्त पोषण व्यवस्थाओं सहित सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित कर दी गयी हों ।

विवरण

गुजरात और महाराष्ट्र में गैस आधारित विद्युत् परियोजनाओं के लंबित पड़े हुए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि	अपेक्षित गैस की मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
गुजरात				
1.	पीपावाव संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजना चरण-I (615 मे० वा०) मै० गुजरात पावर कारपोरेशन लिमीटेड	10/89	2.25 एमसीएमडी	इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1991 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, बशर्ते कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1	2	3	4	5
				द्वारा प्रस्तावित स्कीम के लिये 2.25 एमसी एमडी गैस की पुष्टि कर दी जाए ।
2.	पगुधन संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजना (655 मे० वा०) जिला भरुच—मै० गुजरात टोरैंट एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड	7/93	2.25 एमसीएमडी	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम को नवंबर, 93 में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं । पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गंधार गैस क्षेत्रों से 1.5 एमसीएमडी लिकेज की पुष्टि कर दी हैं । जैसे ही अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी इसकी मात्रा बढ़ाकर 2.25 एमसीएमडी कर दी जाएगी । जब तक की 2.25 एमसीएमडी गैस की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाती है तब तक के लिए मै० गुजरात टोरैंट एनर्जी कारपोरेशन को नेपथा का उपयोग किए जाने और आयात किए जाने की अनुमति दी गई है ।
महाराष्ट्र				
1.	दभोल संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन परियोजना, जिला रत्नागिरी—मै० दभोल पावर कम्पनी	4/93	—	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के अधीन नवम्बर, 1993 में स्कीम को तकनीकी आर्थिक पहलू से स्वीकृति प्रदान कर दी है । परियोजना के चरण-I (695 मे० वा०) के लिए डिस्टीलेट फ्यूल नं० 2 और जब चरण- 2 (1320 मे० वा०) को चालू कर दिया जाता है तब एल एन जी का समुपयोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है । ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कतर से आयात करके किए जाने की परिकल्पना की गई हैं ।

World Bank and IFC Cofiditionatties for loans in Power Sector

3827. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) the details of conditions laid down by the World Bank and the International Finance Corporation for granting loans to power projects of the country, particularly in Maharashtra and Gujarat;

(b) whether Government have accepted these conditions;

(c) if so, the details thereof and their likely impact on general electricity tariffs, particularly in agricultural sector;

(d) the details of arrears outstanding against various state electricity boards in the country; and

(e) the measures/steps taken or proposed to be taken by Government to ensure their clearance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRJ OF POWER (SHRT P. V.